

प्रारूप-स

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकरणों में नामित सूचना अधिकारियों पर आरोपित अर्थदण्ड का विवरण

माह का नाम- अप्रैल, 2021

क्र0 स0	विभाग का नाम	जन-सूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध दण्ड पारित किया गया	दण्ड पारित करने का दिनांक	दण्ड से निहित धनराशि	पारित दण्ड के विरुद्ध विभाग द्वारा वसूल की गयी धनराशि की अद्यतन स्थिति	विभाग द्वारा जन-सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति ( यदि कोई हो )	पारित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	वाणिज्य कर विभाग, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद	श्री रमा शंकर, डिप्टी कमिश्नर	23-08- 2016	रु010,000/-	शून्य	शून्य	श्री मुकेश कुमार माहेशवरी सेवानिवृत्त वाणिज्य कर अधिकारी के मामले में दिनांक 23-08-2016 को रु0 10000-00 का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है, तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद वर्तमान डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, इटावा द्वारा सूचना आयोग के समक्ष पारित आदेश को वापस लेने/ RECALL के निस्तारण अवधि तक अर्थदण्ड की वसूली को स्थगित रखने का अनुरोध किया गया है जिसके क्रम में मा0 उत्तर प्रदेश सूचना अयोग गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अग्रिम सुनवाई दिनांक 18-02-2021 के नियत की गयी है। नियत तिथि पर की जाने वाली कार्यवाही से महोदय को अवगत करा दिया जायेगा।	शून्य
02	वाणिज्य कर विभाग, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद	श्री रमा शंकर, डिप्टी कमिश्नर	17-04- 2018	रु0 15,000/-	शून्य	शून्य	श्री मुकेश कुमार माहेशवरी सेवानिवृत्त वाणिज्य कर अधिकारी के मामले में दिनांक 23-08-2016 को रु0 15000-00 का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है, तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद वर्तमान डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, इटावा द्वारा राज्य सूचना आयोग के समक्ष पारित आदेश को वापस लेने/ RECALL के निस्तारण अवधि तक अर्थदण्ड की वसूली को स्थगित रखने का अनुरोध किया गया है जिसके क्रम में मा0 उत्तर प्रदेश सूचना अयोग गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अग्रिम सुनवाई दिनांक 18-02-2021 के नियत की गयी है। नियत तिथि पर की जाने वाली कार्यवाही से महोदय को अवगत करा दिया जायेगा।	शून्य
03	वाणिज्य कर विभाग, मुरादाबाद जोन,	श्री रमा शंकर, डिप्टी कमिश्नर	30-05- 2018	रु0 25,000/-	शून्य	शून्य	श्री धर्मवीर सिंह द्वारा मांगी गयी जनसूचना के सम्बन्ध में माननीय राज्य सूचना आयोग लखनऊ ने आदेश दिनांक-30.05.2018 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, मुरादाबाद पर बादी को सूचना उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में रु0- 25000.00 का अर्थदण्ड लगाया गया है। जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के नेतन से उक्त अर्थदण्ड धनराशि रुपये 25000-00 की कटौती हेतु डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटावा को डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन)	

	मुरादाबाद								वाणिज्य कर मुरादाबाद के पत्र संख्या- 2896 दिनांक 13-03-2020 द्वारा अर्थदण्ड धनराशि के जमा के साक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । सूचना प्राप्त न होने की दशा में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद के पत्र संख्या- 1931 दिनांक 01-02-2021 द्वारा डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटावा को अनुस्मार प्रेषित कर दिया गया है, जिसके क्रम में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटावा द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद को अपने पत्र संख्या- 305 दिनांक 18-02-2021 द्वारा उपरोक्त धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है । जमा का प्रमाण- पत्र होते ही साक्ष्य महोदय की सेवा में प्रेषित कर दिया जायेगा ।	
04	वाणिज्य कर विभाग, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद	श्री रमा शंकर, डिप्टी कमिश्नर	11-07-2018	₹ 5,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	श्री धर्मवीर सिंह द्वारा मांगी गयी जनसूचना के सम्बन्ध में माननीय राज्य सूचना आयोग लखनऊ ने आदेश दिनांक -11.07.2018 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, मुरादाबाद पर वादी को सूचना उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति ₹0- 5000.00 का अर्थदण्ड दिनांक 11-07-2018 को डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद पर लगाया गया है, जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के वेतन से उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि रुपये 5000-00 की कटौती हेतु डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटावा को डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद के पत्र संख्या- 2905 दिनांक 13-03-2020 द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि के जमा के साक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । सूचना प्राप्त न होने की दशा में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद के पत्र संख्या- 1931 दिनांक 01-02-2021 द्वारा डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटावा को अनुस्मार प्रेषित कर दिया गया है, जिसके क्रम में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटावा द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद को अपने पत्र संख्या- 305 दिनांक 18-02-2021 द्वारा उपरोक्त धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है । जमा का प्रमाण- पत्र होते ही साक्ष्य महोदय की सेवा में प्रेषित कर दिया जायेगा ।	शून्य	
05	वाणिज्य कर विभाग, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद	श्री नगेंद्र प्रसाद, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2	23-06-2014	₹ 25,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	श्री अतुल बंसल द्वारा मांगी गयी जनसूचना के सम्बन्ध में माननीय राज्य सूचना आयोग लखनऊ ने दिनांक-23.06.2014 को तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, मुरादाबाद पर वादी को सूचना उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में ₹0-25000.00 का अर्थदण्ड आदेश दिनांक-23.06.2014 द्वारा लगाया गया है, जिसके क्रम में कार्यालय-डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0) वाणिज्य कर मुरादाबाद के पत्र संख्या- 2902 दिनांक-13.03.2020 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के वेतन से उक्त अर्थदण्ड धनराशि ₹0- 25000.00 की कटौती हेतु डिप्टी कमि0 (प्रशा0) वाणिज्य कर, गोण्डा को पत्र प्रेषित कर दिया गया है । सूचना प्राप्त न होने की दशा में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद के पत्र संख्या- 1969 दिनांक 05-02-2021 द्वारा डिप्टी कमि0 (प्रशा0) वाणिज्य कर, गोण्डा को अनुस्मार प्रेषित कर दिया गया है, जिसके क्रम में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर अयोध्या जोन अयोध्या द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद को अपने पत्र संख्या- 1739 दिनांक 19-02-2021 द्वारा उपरोक्त अर्थदण्ड धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है ।		

							प्रेषित कर दिया जायेगा।	
06	वाणिज्य कर विभाग, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद	श्रीजी0के0दीक्षित /तत्कालीन डि0 कमिश्नर वाणिज्य कर एवं जनसूचना अधिकारी अमरोहा	16-07-2014	रु0 25000.00	श्री जी0 के0 दीक्षित तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर एवं जनसूचना अधिकारी अमरोहा तत्समय ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्पो0) वाणिज्य कर लखनऊ के पद पर कार्यरत थे। अतः अरोपित अर्थदण्ड की वसूली हेतु इस कार्यालय क पत्र सं0- 72 दिनांक 20-04-2019 द्वारा डिप्टी कमिश्नर एवं आहरण वितरण अधिकारी वाणिज्य कर लखनऊ को प्रेषित किया तथा पुनः पत्रांक- 390 दि0- 11-07-2019 के द्वारा वसूली/ आवश्यक कार्यवाही हेतु डिप्टी कमिश्नर एवं आहरण वितरण अधिकारी, मण्डल कार्यालय लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है।	वसूली की कार्यवाही हेतु डिप्टी कमिश्नर एवं आहरण वितरण अधिकारी वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय लखनऊ को पूर्व में पत्र प्रेषित किये गये तथा अनुशासनिक कार्यवाही मुख्यालय स्तर पर अपेक्षित है।	वसूली की कार्यवाही हेतु डिप्टी कमिश्नर एवं आहरण वितरण अधिकारी वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय लखनऊ को पूर्व में पत्र प्रेषित किये गये तथा अनुशासनिक कार्यवाही मुख्यालय स्तर पर अपेक्षित है।	
07	वाणिज्य कर विभाग, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद	श्री जितेन्द्र रमन, असि0कमि0वाक 0 एवं जनसूचना अधिकारी खण्ड-1 बिजनौर	19-06-2018	रु0 25000.00	अधिरोपित अर्थदण्ड जमा कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को इस स्तर से पत्र संख्या- 800 दिनांक 07-03-2020 प्रेषित किया गया था। जिसके सम्बन्ध में दूरभाषा पर प्राप्त जानकारी के अनुसार सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मा0 आयोग के समक्ष प्रतिवेदन किया गया है। जिसकी सूचना जिलाधिकारी, बिजनौर की सेवा में भी प्रेषित की गयी है।	शून्य	अधिरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में माननीय जिलाधिकारी बिजनौर के पत्र संख्या- 114 दिनांक 06-02-2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 15-02-2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा माननीय सूचना आयुक्त के समक्ष प्रत्यावेदन इस कार्यालय के अनुस्मारक पत्र संख्या- 477 दिनांक 30-01-2021 के क्रम में प्रेषित किया गया है।	
08	वाणिज्य कर विभाग, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद	श्री दिव्यामूर्ति, कार्यालय वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-1 बिजनौर	16-07-2018	रु0 25000.00	अधिरोपित अर्थदण्ड जमा कराये जाने हेतु सम्बन्धित खण्ड के डि0कमि0 को इस स्तर से पत्र सं0 769 दि0 28-02-2020, पुनः पत्र सं0 816 दि0 18-03-2020 प्रेषित किये गये हैं।	शून्य	अधिरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में माननीय जिलाधिकारी बिजनौर के पत्र संख्या- 220 दिनांक 24-02-2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 25-02-2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है। अर्थदण्ड समाप्ति हेतु इस स्तर से माननीय सूचना आयुक्त के समक्ष प्रत्यावेदन पत्र संख्या- 589 दिनांक 25-02-2021 से किया गया है।	

09-	वाणिज्य कर विभाग मुरादाबाद जोन	ऋषि भूषण पाठक, असि0कमि0 वा0क0 सम्भल।	13.01.2020	25000.00	डि0कमि0(प्रशा0) वा0क0सम्भल के पत्र सं0- 427 दि0 12.02.20 एवं डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड-1, चन्दीसी के पत्र संख्या-295 दि0 16.02.21 द्वारा डि0कमि0(प्रशा0) एवं आहरण वितरण अधिकारी प्रयागराज को अर्थदण्ड जमा कराने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है।	लागू नहीं	डि0कमि0(प्रशा0) वा0क0सम्भल के पत्र सं0- 427 दि0 12.02.20 द्वारा डि0 कमि0 (प्रशा0) एवं आहरण वितरण अधिकारी प्रयागराज को अर्थदण्ड जमा कराने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है। डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड-1, चन्दीसी के पत्र संख्या-295 दि0 16.02.21 द्वारा डि0कमि0/ आहरण वितरण अधिकारी प्रयागराज को अर्थदण्ड जमा कराने के संबंध अनुस्मारक प्रेषित किया गया।	
10-	वाणिज्य कर	श्री राजेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर(क0व0)/ अधिकारी, वा0क0 गाजियाबाद	15.11.2017	25000.00	00	कोई नहीं	पुर्न्याचिका प्रा0पत्र मा0 30प्र0राज्य सूचना आयोग के समक्ष दिनांक 01.11.2018 में दखिल किया गया है। आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।	मा0 30प्र0 राज्य सूचना आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।
11-	वाणिज्य कर	श्री जे0पी0सिंह, से0नि0 डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0) / तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, वा0क0 गाजियाबाद	27.01.2016	25000.00	00	कोई नहीं	मा0 30प्र0 राज्य सूचना आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/ आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।	मा0 30प्र0 राज्य सूचना आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/ आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।
12-	वाणिज्य कर	श्री इन्द्रजीत भर्दारिया, तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0)/जनसूचना अधिकारी, वा0क0 मेरठ	02.01.2018	25000.00	00	00	कार्यवाही चल रही है।	कार्यवाही चल रही है।
13-	वाणिज्य कर	श्री यू0सी0शर्मा, वर्तमान में ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर, मुरादाबाद	23.10.2018 (30प्र0 सूचना आयोग का पत्रांक-10979 दि0 11.12.2018 से प्राप्त)	25000.00	शून्य	नहीं	दण्ड में निहित धनराशि जमा कराये जाने हेतु आहरण वितरण अधिकारी, मुरादाबाद को पत्र संख्या- 4407 दिनांक 01.04.2019 व अनुस्मारक पत्र संख्या-6135 दिनांक 06.03.19 व पत्र संख्या- 125 दिनांक 24.04.19 व पत्र संख्या- 702 दिनांक 25.06.19, प0सं0-2868 दि0 29.11.2019 एवं प0सं0- 140 दि0 18.06.20 प्रेषित।	दण्ड प्राप्त अधिकारी द्वारा दिनांक 01.02.2019 में अपील दायर की गयी है।
14-	वाणिज्य कर	श्री अनिल कुमार तत्कालीन डि0कमि0 (प्रशासन) वा0क0 स0पुर	14.03.2018	25000.00	00	00	एकपक्षीय आदेश पारित किया गया।	30प्र0 राज्य सूचना आयोग लखनऊ के पारित आदेश दिनांक 14.03.2018 के द्वारा अर्थदण्ड रु 25000.00 एकपक्षीय रूप से आरोपित किया गया था, इस मामले में सूचना आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी है तथा एकपक्षीय रूप से पारित आदेश समाप्त करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

15-	वाणिज्य कर	श्रीमती सरिता सिंह, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/डि०कमि० (प्रशा०) वा०क्र० झांसी	22.11.2012	25000.00	00	00	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि उनके प्रत्यावेदनपर मा० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, ३०प्र० लखनऊ द्वारा भी सुनवाई की कोई तिथि नियत नहीं की गई है।	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि शिकायत अपील सं०-1/2482/सी०/2011 के मामले में आदेश दिनांक 22.11.2012 के विरुद्ध मेरे द्वारा मा० राज्य सूचना आयुक्त ३०प्र० लखनऊ के समक्ष अपील क्रमांक-104002 दिनांक 20.03.2018 दायर की गयी है जो वर्तमान में लम्बित है।
-----	------------	--	------------	----------	----	----	--	---

✓  
28.06.21  
(सोनिका)

असि० कमिश्नर (जनसूचना)/सहायक जनसूचना अधिकारी  
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।